

1.3.03.2024 पत्रावली पेश हुई।

आधिवक्ता वादीगण एवं वादीगण अनुपायित
रुक्-रुक् कर तीन बार आवाज लगाई गई,
बावजूद इसके कोई आदेश नहीं। इससे
प्रतीत होता है कि वादीगण एवं आधिवक्ता
वादीगण अपने दावे को लेकर प्रस्तुत नहीं हैं।
अतः दावा अदम्य हानिरी अदम्य पैरकी में इसी
स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली कैलम शुमार होकर नम्बर
से कम की जाकर दाखिल दफ्तर है।



सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फारट्रेक) सांचौर